

**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

**सि.वा. (मू.प.) 1090/2010 में अंतर.आ.सं.14068/2010 (मू.37 पु.3(5)सि.प्र.सं.)**

सुरक्षित : 9 सितंबर, 2013

निर्णय : 23 अक्टूबर, 2013

पुनीत मिगलानी

..... वादी

द्वारा : श्री एन.के. नैयर, अधिवक्ता

बनाम

मेसर्स सरफेस फिनिशिंग इक्विपमेंट सीओ और अन्य ..... प्रतिवादीगण

द्वारा: श्री आर. सिंघवी, अधिवक्ता

**कोरम:**

**माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मुक्ता गुप्ता**

1. आदेश XXXVII नियम 3 (5) सि.प्र.सं के तहत इस आवेदन द्वारा प्रतिवादी बचाव के लिए बिना शर्त छुट्टी चाहते हैं।

2. प्रतिवादी/आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वाद के पैरा -7 के अनुसार यह कहा गया है कि वादी के कमिशन को मौखिक समझौते के आधार पर 1 नवंबर, 2005 से प्रतिवादी संख्या 1 के सभी उत्पादों पर 10% की खुदरा पर बढ़ाया गया था। मौखिक समझौते की शर्तों के प्रवर्तन के लिए, आदेश XXXVII सि.प्र.सं. के तहत बनाए रखने योग्य कोई वाद नहीं है। इसके

अलावा, कोई चालान या विनिमय बिल दायर नहीं किया गया है, इस प्रकार वर्तमान वाद आदेश XXXVII सि.प्र.सं. के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है। वादी का मामला कथित रूप से खाते के बयानों पर आधारित है जो दिए गए कमीशन का अलग-अलग प्रतिशत दिखाते हैं, यानी 5%, 7.5%, 10% इस प्रकार दायर दस्तावेजों के आधार पर वादी का दावा स्वयं गलत साबित होता है कि पक्षकारों ने मौखिक रूप से कमीशन 10% की दर पर निपटारा किया है जो वादी को नहीं दिया गया है। इसके अलावा, वादी द्वारा दावे को आधार बनाने के लिए वर्ष 2009-2010 का कोई दस्तावेज दायर नहीं किया गया है। वादी और प्रतिवादियों के बीच सभी खातों का निपटारा किया गया था और इसीलिए समकालीन अवधि का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वादी ने अपने पत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 के तहत प्रतिवादी के लिए काम करना बंद कर दिया था और संदर्भित सभी कार्य 2008 में अस्तित्व में आए। इनमें से अधिकांश कार्य वर्ष 2010 में पूरे हो गए। श्री गणेश और केन्द्रीय कार्यशाला आधुनिकीकरण संगठन (सीओएमएफएमओडब्ल्यू पीआर-1729) जैसे कुछ समझौतों पर भरोसा किया गया था, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा कभी भी उनका निष्पादन नहीं किया गया क्योंकि इन दोनों कंपनियों के कार्य आदेश रद्द कर दिए गए हैं। चूंकि वादी का मामला किसी निर्धारित दायित्व पर आधारित नहीं है, इसलिए प्रतिवादी/आवेदक बचाव के लिए अनुमति के हकदार हैं। *बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम मदुरा कोट्स लिमिटेड*, 157

(2009) डीएलटी 240 (डीबी) और *जूकी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड बनाम जय सी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*, 157 (2009) डीएलटी 580 पर भरोसा किया जाता है।

3. दूसरी ओर वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादी ने प्रतिवादियों के दस्तावेजों पर भरोसा किया है जो स्वयं दिखाते हैं कि वादी 10% की दर से कमीशन का हकदार था। इस स्वीकृत दायित्व को देखते हुए, प्रतिवादियों को बचाव के लिए कोई छुट्टी देने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादियों ने भौतिक तथ्यों को छुपाया है, प्रतिवादियों द्वारा उठाया गया बचाव दिखावा है और इस प्रकार बचाव के लिए कोई छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए। *मेकलेक इंजीनियर्स एंड एमएफआर बनाम बेसिक इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन 1977 राजधानी लॉ रिपोर्टर (एससी) 184 पर भरोसा किया गया है*

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

5. वादी द्वारा आदेश XXXVII सि.प्र.सं. के तहत प्रतिवादियों के खिलाफ वर्तमान वाद दायर किया गया है, जिसमें वादी द्वारा किए गए कार्य के लिए अर्जित कमीशन के कारण 15% की दर से प्रति वर्ष ब्याज के साथ 31,31,210.96 रुपये की वसूली की मांग की गई है। यह कहा गया है कि वादी के पिता, जो मेसर्स वीटेक एसोसिएट्स के मालिक हैं, ने प्रतिवादी सं. 1 और 3 से 5 की ओर से प्रतिवादी सं. 2 के साथ 17 जुलाई, 1999 को एक समझौता

किया, जिसमें सभी प्रतिवादियों द्वारा निर्मित किए जा रहे विभिन्न उत्पादों, उपकरणों के लिए ऑर्डर प्राप्त करने के लिए शामिल थे। समझौते के अनुसार, वादी उत्तरी क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में प्राप्त विभिन्न अनुवर्ती कार्यों/आदेशों के लिए कमीशन की निश्चित राशि का हकदार था। इसके बाद 15 दिसंबर, 2003 को नए समझौते द्वारा सभी प्रतिवादियों की तरफ से प्रतिवादी सं. 2 द्वारा समझौते को बढ़ाया गया। वादी द्वारा की गई मेहनत और परिश्रम के कारण प्रतिवादियों का व्यवसाय कई गुना बढ़ गया और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 5 की ओर से कार्य करते हुए मौखिक समझौते के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के सभी उत्पादों पर 10% की दर से कमीशन देने के लिए खुशी-खुशी सहमति व्यक्त की और तदनुसार कमीशन जारी करना शुरू कर दिया। हालाँकि, उसके बाद प्रतिवादियों ने मनमाने ढंग से और दुर्भावनापूर्ण तरीके से कमीशन में कटौती की और इस प्रकार प्रतिवादियों द्वारा अवैध रूप से 31,31,210.96 रुपये की शेष राशि रोक ली गई।

6. वाद के अवलोकन से ही पता चलता है कि वादी और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कमीशन बढ़ाने का समझौता प्रतिवादी संख्या 1 और 3 से 5 मौखिक था और इस प्रकार आदेश XXXVII नियम 1 (2) (ख) का प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा वादी द्वारा दायर दस्तावेज के अवलोकन से पता चलता है कि नवंबर, 2005 में एक विशेष अवधि के लिए 10% कमीशन की दर नोट की गई थी, जैसा कि 30 नवंबर,

2005 के पत्र द्वारा भी उल्लेख किया गया था, हालांकि, मार्च, अप्रैल और जुलाई, 2008 आदि की अवधि के लिए कमीशन कथन से पता चलता है कि कमीशन की दर 5% की दर या 7.5% की दर की गणना की गई है। दायित्व को स्वीकार नहीं किए जाने या दावा लिखित समझौते के अनुसरण में नहीं होने या विनिमय बिल आदि पर आधारित होने के मद्देनजर, वादी ने आदेश XXXVII सि.प्र.सं. के तहत मुकदमे के लिए मामला नहीं बनाया है। इस प्रकार, प्रतिवादियों को बचाव के लिए बिना शर्त छुट्टी दी जानी आवश्यक है। इसी तरह की स्थिति से निपटते समय, जिसमें खारों को एकत्रित करना, व्याख्या करना और उन्हें प्रभावी बनाना था, इस न्यायालय ने जूकी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (पूर्वोक्त) में माना कि ऐसा वाद आदेश XXXVII सि.प्र.सं. के अंतर्गत नहीं आएगा। यह अभिनिर्धारित किया गया :

"7. हालांकि वाद में कहा गया है कि वाद सि.प्र.सं. के आदेश 37 के तहत दायर किया गया है, जैसा कि उसके नियम 2 के तहत कहा जाना आवश्यक है, लेकिन यह कहीं भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि आदेश 37 के नियम 1 (2) में निर्दिष्ट खंड के तहत, वाद आता है। बहस के दौरान, यह तर्क दिया गया कि वाद वादी द्वारा प्रतिवादी को माल की बिक्री के चालान पर देय शेष राशि के आधार पर था। निस्संदेह, इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि इस तरह के चालान के आधार पर एक वाद सि.प्र.सं. के आदेश 37 के तहत निहित है। हालांकि, वर्तमान राशि की वसूली के लिए चालान के आधार पर एक वाद नहीं है, बल्कि वाद के पैरा 9 में निर्धारित पक्षकारों के बीच एक खाते पर देय शेष राशि की

वसूली के लिए है। चालान के अलावा उक्त खाते में पक्षकारों के बीच निष्कासन और जमा की प्रविष्टियां शामिल हैं। उक्त खाते पर देय राशि में से, वादी ने प्रतिवादी को देय मानी जाने वाली अन्य राशियों को काटने और एक अन्य चालान की राशि को जोड़ने का दावा किया है, जिसके लिए शुरु में प्रतिवादी सं. 2 बैंक को भी उत्तरदायी बताया गया था। मामला यहीं खत्म नहीं होता; दिनांक 15 दिसंबर, 2005 (पूर्वोक्त) के आदेश से ऐसा लगता है कि प्रतिवादी द्वारा वादी को भुगतान के पक्षों के बीच उक्त खाते में कुछ अन्य प्रविष्टियां हैं और जिस कारण से वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 बैंक को पक्षकारों की सरणी से हटा दिया। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि पक्षकारों के बीच उपरोक्त खातों पर अंतिम राशि का दावा किया गया है। सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि वाद के लंबित रहने के दौरान 40,17,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। तथापि, इस संबंध में रिकार्ड में कुछ भी नहीं है और अन्ततः इसका लेखा-जोखा भी लेना पड़ सकता है।

8. मेरे विचार में, इस तरह की राशि की वसूली के लिए एक वाद सि.प्र.सं. के आदेश 37 के तहत एक वाद के रूप में योग्य नहीं है। वाद में दिए गए कथनों के आधार पर वाद को आदेश 37 के अंतर्गत आना चाहिए। वर्तमान मामले में वाद में दिए गए कथन यह नहीं दर्शाते हैं कि किस लिखित अनुबंध के आधार पर ऋण या नकद में परिसमाप्ति के मांग के रूप में वसूली जाने वाली राशि की मांग की गई है। वाद में किसी भी ऐसे दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें वाद की राशि प्रतिवादी से वादी को देय ऋण के रूप में निहित हो।

9. सि.प्र.सं. के आदेश 37 का उद्देश्य इस देश में अपनाई गई सामान्य प्रतिकूल न्यायिक प्रक्रिया का अपवाद होना था और जिसमें सुनवाई का अवसर देने और साक्ष्य का नेतृत्व करने की आवश्यकता के कारण कुछ देरी निहित थी। यह सोचा गया था कि जहां वाद केवल एक दस्तावेज के आधार पर धन की वसूली के लिए था, जिसकी वास्तविकता पर संदेह नहीं किया जा सकता था या जहां वाद में दावा की गई राशि का खुलासा करने वाले लिखित दस्तावेज के अस्तित्व के कारण, प्रतिवादी को जिम्मेदारी स्थानांतरित करना समीचीन था, यह अधिनियमित किया गया था कि प्रतिवादी तब तक वाद लड़ने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह अदालत को संतुष्ट नहीं करता कि उसके पास रक्षा। हालांकि, मैं खुद को उक्त सिद्धांतों को तत्काल सूट पर लागू करने में असमर्थ पाता हूं। मैं किसी भी दस्तावेज या दस्तावेजों से देय राशि निकालने में असमर्थ हूं। केवल इसलिए कि दावा दस्तावेजों पर आधारित है, सि.प्र.सं. के आदेश 37 के तहत वाद नहीं आएगा। वाद के बड़ी संख्या में दावे दस्तावेजों पर आधारित होते हैं लेकिन ऐसे मुकदमे आदेश 37 के अंतर्गत नहीं आते हैं। जहां बड़ी संख्या में दस्तावेजों को एकत्रित करना, उनकी व्याख्या करना और उनके प्रभाव को अन्य दस्तावेजों के साथ जोड़कर न्यायनिर्णित करना होता है, केवल इसलिए कि मुकदमा दस्तावेजों पर आधारित है, वह सि.प्र.सं. के आदेश 37 के अंतर्गत नहीं आता है। वर्तमान मामले में स्थिति यही है।”

7. इस प्रकार आवेदन को बचाव के लिए छुट्टी देने का निपटान किया जाता है

प्रतिवादीगण

**सि.वा. (मू.प.) 1090/2010**

चार सप्ताह के भीतर लिखित बयान दाखिल किया जाए। उसके बाद चार सप्ताह के भीतर प्रतिकृति दायर की जाए।

16 जनवरी, 2014 को दलीलों को पूरा करने और दस्तावेजों को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिए विद्वान संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

इस मामले को 16 जुलाई, 2014 को मुद्दे तय करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष रखा जाए।

(मुक्ता गुप्ता)  
न्यायाधीश

अक्टूबर 23, 2013

'वीएन'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

*अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*